30/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी ने हाजिर होकर निवेदन किया कि सभी अप्रार्थीगण की तामील पूर्ण है अतः प्रार्थना पत्र बाबत O9R6 व धारा 13 RCA स्वीकार करवाये जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस व पत्रावली मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि सभी अप्रार्थीगण की तामील शामिल है। बावजूद तामील इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अतः प्रा० पत्र बाबत O9R6 व धारा 13 RCA स्वीकार की जाती है। पत्रावली मूल (प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा) के साथ दिनांक 18/10/24 को [illegible] रहे।

पत्रावली [illegible] होकर [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30/9/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

[illegible] शहर प्रथम